FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0184 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/07/2026 11:45 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 03/07/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/07/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/07/2026 11:45:01 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 25 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARAYALAY ADHISHASHI ABHIYANTA, AVVNL KISHANGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RONAK NAMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KAMLESH KUMAR NAMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHSOOK, ARAIN, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHSOOK, ARAIN, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BABLESH KUMAR SHARMA		पिता:MURARILAL SHARMA	1. DHANI PUROHITAN KHWA RAW JI,पापडदा ,DAUSA, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक, एसीबी इन्टेलीजेंस ब्यूरो, अजमेर। विषय-ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है मेरे पिताजी कमलेश कुमार बड़े पिताजी ओमप्रकाश के नाम से हम हमारी गांव ढसूक स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 634, 635, 636 में पॉली हाउस लगा रहे हैं। उक्त पॉली हाउस के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु मैने मेरे बड़े पिताजी ओमप्रकाश के नाम से दिनांक 29.05.26 को आवेदन किया था। मेरे बड़े पिताजी ने विद्युत कनेक्शन हेतु मुझे अधिकृत कर रखा था दिनांक 22.06.26 को विद्युत विभाग किशनगढ़ के जरिये नोटिस दिया कि आपका भवन अधूरा होने के कारण कनेक्शन संभव नही है, जबकि भवन का कार्य पूर्ण था, इसके बाद में स्वयम् एक्सईएन ऑफिस किशनगढ़ में गिरीराज जी मीणा से बात करने पर कनेक्शन के एवज में 15000 रूपये की मांग की मुझे एक्सईएन ऑफिस किशनगढ़ से मो.नं. जो वाट्स-एप पर कॉल आया और दिनांक 25.06.26 वार गुरूवार था। आज आप फोन-पे पर 15000 रूपये डाल दो आपकी फाईल आज ही सेंक्शन हो जायेगी। इस बात पर मैने बोला अभी मैं अस्पताल हूँ। बाद मे बात करता है। मै इनको रिश्वत न देकर रंगे हाथा पकड़वाना चाहता हूँ। प्रार्थी एसडी रोनक नामा पुत्र कमलेश कुमार पता ढसूक, अंराई अजमेर मोबाईल नम्बर दिनांक 29.06.26 कार्यावाही पुलिस कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे0 अजमेर दिनांक 29.06.2026 समय -03.00 पीएम इस समय परिवादी श्री रोनक नामा पुत्र श्री कमलेश कुमार उम्र 27 साल जाति छीपा निवासी गांव ढसूक, पुलिस थाना अंराई, जिला अजमेर मो.नं. 9414614661 ने उपस्थित कार्यालय हाजा होकर उप अधीक्षक पुलिस, ए.सी.बी., इन्टेलिजेंस, अजमेर के नाम एक लिखित प्रार्थना पत्र मय स्वयम् का आधार कार्ड एवं पोली हाउस के संबंध में एवीवीएनएल द्वारा जारी नोटिस की प्रति स्वयं प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी से दरियाफ्त की तो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयम् द्वारा हस्तलिखित होना बताया। प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने बताया कि उसके पिताजी कमलेश कुमार व बडे पिताजी ओम प्रकाश के नाम से हम हमारी गांव ढसूक में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 634, 635 में पाली हाउस लगा रहे हैं। उक्त पोली हाउस के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु मैने मेरे बड़े पिताजी ओम प्रकाश के नाम से दिनांक 29.05.26 को आवेदन किया था तथा मैं एवीवीएनएल अंराई श्री विनोद लाईनमेन से मिला तो उसने कहा कि मैं आपका काम करवा दूंगा परन्तु दिनांक 22.06.26 को एवीवीएनएल किशनगढ़ से मेरे बडे पिताजी ओम प्रकाश जी के नाम से नोटिस आया कि आपका भवन अधूरा होने के कारण कनेक्शन संभव नही है। इस पर मैं दिनांक 23.06.26 को एवीवीएनएल एक्सईएन ऑफिस किशनगढ़ गया तो मुझे गिरीराज मीणा मिला तथा मेरे कनेक्शन के एवज में 15000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा कहा कि आपके पास बबलेश का फोन आ जायेगा। दिनांक 25.06.26 को श्री बबलेश के मोबाईल नम्बर से वाट्स-एप कॉल आया तथा कहा कि 15000 रूपये फोन पे कर दो आपकी फाईल आज ही सेक्शन हो जायेगी। इस पर मैने कहा कि अभी मैं अस्पताल हूँ बाद में बात करता हूँ। मैं इनको रिश्वत न देकर रंगे हाथा पकड़वाना चाहता हूँ। पूछने पर बताया कि मेरी इनसे कोई रंजीश नही है ना ही कोई उधार का लेन-देन हैं। परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी और बड़े पिताजी के नाम गांव ढसूक में संयुक्त कृषि भूमि है, जिसमें पॉली हाउस लगाने एवं विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही मेरे द्वारा की जा रही हैं। मेरे बड़े पिताजी ने उनके नाम से विद्युत कनेक्शन आवेदन करने हेतु मुझे मौखिक सहमति दी थी तथा रिश्वत मांगने से संबन्धित तथ्य मैने मेरे बडे पिताजी और पिताजी को बतायी तो उन्होने मुझे कार्यवाही करवाने की मौखिक सहमति दी थी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होना पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में समझाया व श्री भरत सिंह कानि. से कार्यालय अलमारी मे से वॉयस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी को ऑपरेट करने की समझाईस की गई। परिवादी ने बताया कि आज तो शाम हो गई है, मंगलवार को मैं व्यस्त रहूंगा तथा बुधवार को मैं श्री गिरीराज एवं श्री बबलेश के बारे में जानकारी करके आपको फोन कर दूंगा तथा उसी समय मांग सत्यापन के तुरन्त बाद ट्रेप कार्यवाही करनी पडेगी क्योंकि वह रिश्वत राशि मुझे फोन पे करने हेतु कहता हैं तो रिश्वत राशि तुरन्त ही लेगा। तत्पश्चात् परिवादी को रूखसत किया गया। दिनांक 01.07.2026 को मन् निरीक्षक पुलिस मय हस्बतलविदा स्वतन्त्र गवाह एवं एसीबी स्टॉफ एवं श्री जगदीश स.प्र.अ. मय फिनोफ्थलीन पाउडर के सरकारी वाहन टवेरा मय चालक कानि0 श्री जगदीश के कार्यालय रवाना होकर किशनगढ़ पहुँची, जहां परिवादी श्री रोनक नामा उपस्थित मिला। परिवादी श्री रोनक नामा एवं श्री भरत सिंह कानि0 मय वॉयस

रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु एवीवीएनएल ऑफिस किशनगढ़ के लिए परिवादी की कार से रवाना किया गया। समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री रोनक नामा एवं श्री भरत सिहं कानि0 उपस्थित आये तथा श्री भरत सिहं कानि0 ने बताया कि समय 12.05 पीएम पर परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के लिए एवीवीएनएल ऑफिस के लिए रवाना किया तथा परिवादी बाद वार्ता उपस्थित आया। इसके बाद परिवादी ने बताया कि मैं एवीवीएनएल ऑफिस में जाकर गिरीराज मीणा से मिला तो उसने कहा कि आपका काम कम्पलीट हो गया क्या तो मैने कहा हॉ कम्पलीट है तो उसने कहा एक छोटी एप्लीकेशन दे देना और एक बार फोटो और दे दो, मैने आपके लिए साहब को कहा दिया है और आप एक बार साहब से मिल लो। इस पर मैं एक्सईएन साहब से मिल तो उन्होने कहा कि तुम एक प्रार्थना पत्र एईएन अंराई को दे दो तुम्हारा काम हो जायेगा और मैं बाहर आ गया। समय 01.45 पी.एम. पर परिवादी श्री रोनक नामा मेरे पास आया तथा बताया कि अभी मैने श्री गिरीराज मीणा द्वारा बताये बेसिक फोन नम्बर पर फोन किया तथा बताया कि मुझे एक्सईएन साहब ने कहा है कि एईएन अंराई को एक प्रार्थना पत्र दे दो तुम्हारा काम हो जायेगा। इस पर गिरीराज मीणा ने कहा कि तुम अंराई मत जाओ अभी बबलेश का फोन तुम्हारे पास आ जायेगा, उसके कहे अनुसार कर लो। इसी दौरान समय 01.50 पीएम पर श्री बबलेश के मोबाईल नम्बर से परिवादी के मोबाईल नम्बर पर वाट्स-एप कॉल आया तथा कहा कि तुम कृष्णापुरी कार्यालय में आ जाओ। समय 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री रोनक नामा एवं श्री भरत सिंह कानि0 को मय वॉयस रिकार्डर कृष्णापुरी के लिए रवाना किया समय 03.30 पी.एम. पर परिवादी श्री रोनक नामा एवं श्री भरत सिंह कानि0 मेरे समक्ष उपस्थित आये तथा परिवादी ने बताया कि मैं एवीवीएनएल ऑफिस के सामने स्थित विनायक बेकरी के अन्दर चला गया तथा श्री बबलेश को फोन किया तो वो बेकरी के अन्दर आया तथा मेरा काम करवाने की एवज में 10000 रिश्वत की मांग की तथा रिश्वत राशि फोन-पे करने हेतु कहा हैं। वार्ता के बाद श्री बबलेश वहां से चला गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान एवं परिवादी के किशनगढ से कार्यालय हाजा पहुँची। परिवादी एवं गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। दिनांक 02.07.2026 को मन् निरीक्षक पुलिस मय मय स्वतन्त्र गवाह मय एसीबी स्टॉफ किशनगढ़ पहुँची, जहां परिवादी श्री रोनक नामा उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि उसका मेरे पास वाट्स-एप कॉल आया है तब मैने उसको कहा कि मेरा फोन-पे नही चल रहा है आपको कल रिश्वत राशि नगद दे दूंगा तो उसने नगद लेने से मना कर दिया व रिश्वत राशि फोन-पे से ही लेगा नगद नही लेगा। समय 01.50 पीएम पर परिवादी श्री रोनक नामा एवं श्री भरत सिह कानि0 मय वॉयस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड डालकर आरोपी श्री बबलेश से वार्ता करने हेतु एवीवीएनएल, किशनगढ के लिए रवाना किया गया तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से मिलने पर आरोपी द्वारा बताये नम्बरो पर रिश्वत राशि फोन करने के उपरान्त मन् निरीक्षक पुलिस को फोन करके अथवा वाट्स-एप मैसेज कर रिश्वत लेन-देन का ईशारा कर बताये। समय 03.15 पीएम पर परिवादी श्री रोनक नामा मय श्री भरत सिह कानि0 के उपस्थित आया तथा वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि मै व भरत सिंह जी रवाना होकर एवीवीएनएल ऑफिस के बाहर पहुँचे तथा भरत सिंह जी वही रूक गये तथा मैं विनायक बेकरी के अन्दर चला गया तथा आरोपी को रिश्वत लेने हेतु बुलाया तो उसने मुझे स्केनर भेजकर उस पर फोन-पे करने हेतु कहा तो मैने कहा मैं बाहर विनायक बेकरी पर बैठा हूँ तुम बाहर आ जाओ तो वो नही आया तो मैने उसको पुनः कॉल किया तो उसने कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ और उसने स्केनर को डिलिट कर दिया। फिर मैं विनायक बेकरी से बाहर आकर भरत सिंहजी के साथ आपके पास आ गया। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर मौके पर फारिक किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान किशनगढ से रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुँची। दिनांक 03.07.2026 को मन् निरीक्षक पुलिस मय मय स्वतन्त्र गवाह श्री नरेन्द्र चौधरी, श्री मुदीत पण्डित एवं एसीबी स्टॉफ श्री युवराज सिंह सउनि, श्री हुकमाराम कानि0, श्री भरत सिंह कानि0 मय वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं आमदा एसीबी एस.यू. अजमेर से श्री अजीत सिंह कानि0, श्री दामोदर कानि0 मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा मय चालक कानि0 श्री जगदीश एवं प्राईवेट वाहन से रवाना होकर किशनगढ़ पहुँचे, जहां परिवादी श्री रोनक नामा उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि आरोपी बबलेश ने मुझे समय 11.11 एएम पर मो.नं. एवं अनिल जैन लिखकर मैसेज भेजकर कुछ समय बाद फोन कर इस नम्बर पर रिश्वत राशि डालने हेतु कहा हैं। इस पर श्री युवराज सिंह सउनि, श्री दामोदर कानि0 श्री भरत सिंह कानि0, श्री अजीत सिंह कानि0 को प्राईवेट वाहन से एवीवीएनएल कार्यालय के लिए रवाना किया। समय 01.44 पीएम पर परिवादी श्री रोनक नामा के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री बबलेश कुमार शर्मा के मोबाईल नम्बर पर वाट्स-एप कॉल कर वार्ता करवायी तो आरोपी श्री बबलेश कुमार शर्मा ने कहा कि श्री अनिल जैन के मोबाईल पर फोन-पे करके मुझे मैसेज कर देना। इस पर परिवादी के फोन से आरोपी के बताये अनुसार व्यक्ति श्री अनिल जैन के मोबाईल नम्बर पर 10000 रूपये फोन-पे करने के उपरान्त परिवादी के मोबाईल से पेटीएम का स्क्रीन शॉट आरोपी श्री बबलेश कुमार शर्मा को भेजकर वाट्स-एप कॉल कर बताया कि आपके बताये अनुसार फोन-पे कर दिया है, जिस पर आरोपी श्री बबलेश कुमार शर्मा ने कहा कि ठीक हैं। उक्त वार्ता को वॉयस रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। समय 01.55 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह, एसीबी स्टॉफ श्री हुकमाराम कानि0 एवं परिवादी श्री रोनक नामा को हमराह लेकर प्राईवेट वाहन से कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

एवीवीएनएल, (ओ एण्ड एम) किशनगढ मे पहुँची तथा श्री दामोदर कानि0 एवं श्री भरत सिंह कानि0 को हमराह लेकर स्टॉफ कक्ष में पहुँची, जहां सामने कुर्सी टेबल पर दो व्यक्ति एवं कक्ष के दाहिने साईड में एक व्यक्ति लाईट ब्ल्यू कलर की शर्ट पहने कुर्सी पर बैठा था तथा पास में श्री युवराज सिंह सउनि खड़ा था। परिवादी ने लाईट ब्ल्यू कलर का शर्ट पहने हुए व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही बबलेश कुमार है, जिसके कहे अनुसार मैने अभी अनिल जैन को 10000 रूपये फोन-पे किये हैं। मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना और हमराहीयान का परिचय देकर आरोपी का परिचय पूछा तो अपना नाम बबलेश कुमार तकनीशीयन-प्रथम, कार्यालय अधीशाषी अभियन्ता, (ओ एण्ड एम) अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगढ़ होना बताया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री बबलेश कुमार शर्मा को कहा कि आपने अभी परिवादी श्री रोनक नामा से श्री अनिल जैन के मोबाईल नम्बर पर 10000 रूपये फोन-पे करके प्राप्त किये है। इस पर आरोपी श्री बबलेश कुमार ने कहा कि मैने कोई पैसे प्राप्त नही किये है, मैने इनसे पैसे नही मांगे। इस पर आरोपी से उसका फोन लेकर आरोपी को मोबाईल फोन की चैटिंग दिखाकर पूछा कि आपके मोबाईल पर अभी परिवादी रोनक नामा ने आपके बताये अनुसार अनिल जैन के मोबाईल पर 10000 रूपये फोन-पे का स्क्रीन शॉट शेयर हुआ है। इस पर आरोपी ने कहा मुझे इसकी जानकारी नही हैं। आरोपी को पूछा कि आपने अनिल जैन से अभी वार्ता की तो कहा नही की। इस पर वाट्स-एप देखने पर वार्ता होना पाया जाने पर आरोपी से पूछा तो आरोपी ने कहा कि मैने तो पूछा कि किशनगढ़ कब आ रहे हो, मैने पैसो के संबंध में कोई वार्ता नही की। आरोपी बबलेश से पूछा कि उक्त पैसे में और किसकी हिस्सेदारी है तो बोला मैने पैसे लिये ही नही है। इस पर पूछा कि आपको फोन पे का स्क्रीन शॉट शेयर होने के बाद ही आपने अनिल जैन से वार्ता क्यो की, तो आरोपी चुप हो गया तथा कुछ नही बोला और कहने लगा मुझे बचा लो। तत्पश्चात् अधिशाषी अभियन्ता कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही आरंभ की गई। इसी दौरान तलविदाशुदा श्री अनिल जैन उपस्थित आया, जिसको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो अपना नाम अनिल जैन मोबाईल नम्बर होना बताया। मेरी अजीत इलेक्ट्रिक के नाम से अंराई मे दुकान है तथा मेरी फर्म का नाम मैसर्स अनिल जैन कॉन्ट्रेक्टर ई-2 श्रैणी में एवीवीएनएल मे रजिस्टर्ड है, जिसका प्रोपराईटर मैं हूँ। मैं एवीवीएनएल किशनगढ में ठेके लेते रहता हूँ इसलिए श्री बबलेश कुमार से परिचित हूँ। आज सुबह मेरे पास श्री बबलेश कुमार के मोबाईल नम्बर से वाट्स-एप कॉल आया तथा मुझे कहा कि आपके मैने 10000 रूपये फोन-पे करवाये थे आ गये क्या तो मैने कहा हॉ। इस पर बबलेश ने कहा कि मैं आपसे कोई सामान ले लूंगा, अपन देख लेंगे। आप किशनगढ़ कब आ रहे हो तो कहा कि मैं 6-7 जुलाई को आउंगा। इस पर अनिल जैन को पूछा कि आप रोनक नामा को जानते हो क्या, इस पर अनिल जैन ने कहा कि मैं रोनक नाम के व्यक्ति को नही जानता हूँ ना ही मुझे जानकारी है कि उक्त पैसे बबलेश ने मुझे फोन-पे किये हैं। मुझे इस बात की जानकारी नही थी कि बबलेश ने उक्त राशि रिश्वत के रूप में मेरे को फोन-पे करवायी है। यदि उक्त जानकारी होती तो मैं रिश्वत राशि मैं मेरे खाते में नही डलवाता। श्री अनिल जैन ने उसके प्राप्त फोन पे राशि 10000 रूपये प्रस्तुत किये, जिनको एक कागज के लिफाफे में रखकर सील्ड मोहर कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''N'' अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री बबलेश कुमार का मोबाईल फोन वीवो वी-30, ग्रीन मेटेलिक कलर जिसमें जीओ कम्पनी की सीम, जिसके मो.नं. दूसरी सीम एयरटेल मोबाईल नम्बर है। उक्त मोबाईल मे लगी जीयो कम्पनी के मोबाईल नम्बर में वाट्स-एप संचालित है, जिसका अवलोकन किया गया तो दिनांक 02.07.26 एवं 03.07.26 को परिवादी श्री रोनक नामा से मोबाईल नम्बर 9414614661 पर वाट्स-एप चैटिंग होना पाया गया एवं आज दिनांक 03.07.26 को समय 10.57 एएम पर परिवादी द्वारा डिमाण्ड की कॉपी सैण्ड करने पर आरोपी द्वारा समय 11.11 एएम पर मोबाईल नम्बर परिवादी के वाट्स-एप नम्बर पर सैण्ड किये हैं। उसके बाद परिवादी ने 10000 रूपये अनिल जैन को पेटीएम पर राशि भेजी उसकी डिटेल शेयर की है। उसके बाद परिवादी का वाट्स-एप कॉल आरोपी के पास आया है। परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई चैटिंग का स्क्रीन शॉट लिया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री बबलेश कुमार के मोबाईल नम्बर एवं श्री अनिल जैन के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई वाट्स-एप चैटिंग का अवलोकन किया तो आज दिनांक 03.07.26 को समय 01.51 पीएम पर आरोपी श्री बबलेश कुमार द्वारा श्री अनिल जैन से वाट्स-एप कॉल किया गया है। आरोपी की अनिल जैन से वाट्स-एप कॉल की स्क्रीन शॉट लिया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री बबलेश कुमार शर्मा के मोबाईल फोन को बतौर वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क- ''K'' अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड में रिश्वत राशि फोन-पे करवाने की वार्ता रिकार्ड है, जिसकी आईन्दा ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जायेगी। आरोपी श्री बबलेश कुमार शर्मा का सेवा विवरण प्राप्त किया। मौके पर उपस्थित श्री मेघराज मीणा, अधिशाषी अभियन्ता से परिवादी के कार्य से संबन्धित पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। श्री गिरीराज मीणा, सूचना सहायक एवीवीएनएल, किशनगढ़ से पूछताछ कि तो बताया कि मैं तकनीकी शाखा, विधुत कनेक्शन से संबन्धित पत्रावलीया देखता हूँ तथा श्री रोनक नामा के बड़े पिताजी श्री ओम प्रकाश के विद्युत कनेक्शन से संबन्धित पत्रावली मैं ही संधारित कर रहा था। श्री मेघराज मीणा, अधिशाषी अभियन्ता, एवीवीएनएल, किशनगढ़ ने बताया कि श्री गिरीराज मीणा, सूचना सहायक एवीवीएनएल, किशनगढ़

समस्त पत्रावलीयो से संबन्धित एवं समझोता समिति से संबन्धित कार्य करता है तथा विद्युत कनेक्शन से संबन्धित समस्त पत्रावली भी देखता हैं। परिवादी श्री रोनक नामा का आवेदन संख्या 1101150001266 एवं राजकाज फाईल संख्या 01180 है, जो श्री गिरीराज मीणा सूचना सहायक द्वारा संधारित की जा रही थी। श्री बबलेश कुमार शर्मा तकनीशियन-प्रथम रिसिव्ड एवं डिस्पेच एवं डाक लेने का कार्य कर रहा था। इस प्रकार श्री बबलेश कुमार पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा उम्र 36 साल निवासी ढाणी पुरोहितान, खवा राव जी, पुलिस थाना पापड़दा, जिला दौसा हाल तकनीशीयन-प्रथम, कार्यालय अधीशाषी अभियन्ता, (ओ एण्ड एम) अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगढ़ का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का घटित करना पाया जाता है। आरोपी श्री बबलेश कुमार शर्मा को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया है। उक्त ट्रेप कार्यवाही की विडियो रिकार्डिंग कार्यालय के सरकारी फोन में लगे मैमोरी कार्ड में श्री हुकमाराम कानि0 से करवाई गई। मूल मैमोरी कार्ड से एक पेन ड्राईव तैयार किया तथा मूल मेमोरी कार्ड को कपड़े की थेली मे सील्ड कर मार्क MV अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। बाद कार्यवाही समय 09.10 पी.एम. पर परिवादी को मौके पर फारिक कर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान, एसीबी स्टॉफ, आरोपी श्री बबलेश कुमार शर्मा एवं जब्तशुदा आर्टिकल के किशनगढ़ से रवाना होकर अजमेर पहुँची। गवाहान को रूखसत किया। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर कोतवाली थाने की हवालात में जमा करवाया। दिनांक 04.07.26 को परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में दिनांक 01.07.26 को परिवादी श्री रोनक नामा एवं श्री गिरीराज मीणा, श्री मेघराज मीणा, अधिशाषी अभियन्ता व श्री बबलेश कर्मचारी एवीवीएनएल, किशनगढ़ के मध्य हुई रूबरू एवं वाट्स-एप वार्ता जो वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की तथा उक्त वार्ता का एक पेन ड्राईव तैयार किया। मूल मेमोरी कार्ड को कपडे की थेली को सील्ड कर मार्क ''एम'' अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् वॉयस रिकार्डर निकलवाया जाकर दिनांक 03.07.2026 को परिवादी एवं आरोपी श्री बबलेश कुमार शर्मा के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय जरिये वाट्स-एप कॉल हुई वार्ता, जो वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की तथा उक्त वार्ता के एक पेन ड्राईव तैयार किया। मूल मेमोरी कार्ड को वॉयस रिकार्डर में से निकालकर उसको एक कपड़े की थेली में रखकर कपडे की थेली को सील्ड कर मार्क ''एम-1 '' अंकित किया जाकर फर्द एवं कपड़े की थेली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द नमुना व नाषानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। परिवादी श्री रोनक नामा व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को कार्यालय से रूखसत किया गया। जब्तशुदा आर्टिकल जमा मालखाना करवाये। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी श्री रोनक नामा के पिताजी कमलेश कुमार व बडे पिताजी ओम प्रकाश के नाम से गांव ढसूक में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 634, 635 में पॉली हाउस में परिवादी के बड़े पिताजी ओम प्रकाश के नाम से दिनांक 29.05.26 को विद्युत कनेक्शन करवाने के लिये किये गये आवेदन के संबंध में एवीवीएनएल द्वारा जारी किये गये नोटिस के संबंध में परिवादी दिनांक 23.06.26 को एवीवीएनएल एक्सईएन ऑफिस किशनगढ़ में गिरीराज मीणा से मिला तो उसने कनेक्शन के एवज में 15000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा कहा कि आपके पास बबलेश का फोन आ जायेगा। दिनांक 25.06.26 को श्री बबलेश के मोबाईल नम्बर से वाट्स-एप कॉल आया तथा कहा कि 15000 रूपये फोन पे कर दो आपकी फाईल आज ही सेक्शन हो जायेगा। इस पर परिवादी द्वारा दिनांक 29.06.26 को ए.सी.बी., इन्टे., अजमेर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.07.26 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवायी तो दौराने सत्यापन वार्ता आरोपी श्री बबलेश कुमार परिवादी श्री रोनक नामा से 10000 रूपये रिश्वत राशि जरिये फोन पे प्राप्त करने हेतु सहमत हुआ। दिनांक 03.07.2026 को आरोपी श्री बबलेश कुमार शर्मा ने मांग के अनुसरण में परिवादी रोनक नामा से 10000 रूपये रिश्वत राशि श्री अनिल जैन के फोन-पे नम्बर पर डलवाकर प्राप्त की। दौराने कार्यवाही श्री अनिल जैन ने उक्त राशि जरिये फोन-पे श्री बबलेश कुमार शर्मा द्वारा वाट्स-एप पर हुई वार्ता अनुसार स्वयं के फोन-पे पर प्राप्त होना स्वीकार किया हैं। इस प्रकार श्री बबलेश कुमार पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा उम्र 36 साल निवासी ढाणी पुरोहितान, खवा राव जी, पुलिस थाना पापड़दा, जिला दौसा हाल तकनीशीयन-प्रथम, कार्यालय अधीशाषी अभियन्ता, (ओ एण्ड एम) अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगढ़ का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया जाता है। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में श्री गिरीराज मीणा एवं श्री बबलेश कुमार शर्मा द्वारा रिश्वत मांगने के तथ्य अंकित किये है परन्तु रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में श्री गिरीराज द्वारा रिश्वत मांगने के तथ्य नही आये है परन्तु परिवादी के कार्य से संबन्धित पत्रावली संधारण का कार्य श्री गिरीराज मीणा, सूचना सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, (ओ एण्ड एम), अविविनिलि, किशनगढ़ द्वारा किया जा रहा था, जिसकी भूमिका अनुसंधान से स्पष्ट होगी। उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं। उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं। (कंचन भाटी) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टै0, अजमेर.....प्रमाणित..... किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. अजमेर ने प्रेषित की है

मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बबलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा उम्र 36 साल निवासी ढाणी पुरोहितान, खवा राव जी, पुलिस थाना पापड़दा, जिला दौसा हाल तकनीशीयन-प्रथम, कार्यालय अधीशाषी अभियन्ता, (ओ एण्ड एम) अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, किशनगढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 109 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1107-10 दिनांक 07.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- अधीक्षण अभियन्ता (प.व.स.), अजमेर विद्धुत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. अजमेर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** meera beniwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/07/2026 12:56:07

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)